न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3092–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–09–14 पारित द्वारा आयुक्त ग्वालियर, संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 321/12–13/अपील.

———

भरोसा पुत्र पतुआ जाटव
निवासी ग्राम– सीहोर तहसील नरवर
जिला–शिवपुरी म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

शासन म.प्र.

——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी0एम0 गुप्ता
अनावेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 27 जनवरी 2016 को पारित)

———

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 321/12–13 दिनांक 02–09–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने इस आशय का आवेदन कलेक्टर शिवपुरी को प्रस्तुत किया कि उसकी कृषि भूमि ग्राम सीहोर तहसील नरवर जिला शिवपुरी में होकर सर्वे कमांक 2740/2 रकवा 3.31 है0 भूमि जो कि आवेदक के पिता स्व0 पतुआराम पुत्र श्री खचुआ राम जाटव के नाम से भूमि अंकित थी उनकी मृत्यु

के उपरांत आवेदक के नाम उक्त भूमि का नामांतरण हुआ । आवेदक उक्त भूमि पर जन्म से ही खेती करता आ रहा है । पटवारी खसरे में भूमि अहस्तांतरणीय अंकित होने से बाधा आ रही है। आवेदक के नाम उक्त भूमि के अलावा ग्राम सीहोर में 2741/2 रकवा 0.12 है0 सर्वे नं0 2775/2 रकवा 0.05 है0 तथा लगे हुये ग्राम हथेडा में आवेदक की पत्नि लुडको के नाम सर्वे नं0 710 एवं 1182 किता 2 रकबा 1.72 है0 भूमि कय कर ली है जिस पर खेती करता है। भूमि विकय से आवेदक भूमिहीन नहीं होता है। विकय की जा रही भूमि पथरीली पहाड़ी है जिसमें केवल 3 बीघा भूमि उपजाऊ है। भूमि विकय करने के लिये श्री रामनिवास सोनी पुत्र श्री रघुवर दयाल सोनी सराफा बाजार डबरा से अनुबंध किया है। भूमि विकय सद्भाविक है। अतः विकय की अनुमति दी जाये लेकिन कलेक्टर शिवपुरी द्वारा उक्त आवेदन पत्र दिनांक 16.01.12 को निरस्त किया गया है। इसके विरूद्ध आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा भी दिनांक 02–09–14 को अपील निरस्त कर दी गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक अभि. द्वारा तर्क दिये कि पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर तहसील नरवर द्वारा भूमि विकय की अनुमति हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी करैरा को भेजा था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी करैरा उसके विपरीत प्रतिवेदन कलेक्टर, शिवपुरी को भेजा जिसके आधार पर कलेक्टर ने आवेदन निरस्त कर दिया। अपील में आयुक्त ने भी सभी कानूनी बिन्दुओं की विवेचना तथा सही निष्कर्ष नहीं निकाला तथा अपील निरस्त कर दी।

4/ कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा भूमि विकय हेतु आवेदन दिया परन्तु उसमे ऐसा कोई कारण नहीं बताया जिससे पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि का विकय करना अति आवश्यक हो । केवल पत्नी के नाम पर

अथवा ग्राम में उसकी स्वयं की भूमि होने तथा पट्टे की भूमि ऊबड़ खाबड होना पट्टे की भूमि विकय का आधार नहीं हो सकता। कलेक्टर को प्रस्तुत विकय अनुमति के आवेदन में लिखा है कि वह जन्म से ही भूमि पर खेती करता चला आ रहा है जबकि भूमि विकय के लिये अनुमति का कारण भूमि का उबड़ खाबड़ एवं कृषि योग्य न होना बता रहा है। भूमि आवेदक के पिता को बंटित होना बताई गई है। पिता के बाद आवेदक के नाम पर नामांतरण कब हुआ, पट्टा कब तथा कितनी भूमि का हुआ था, यह प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं है। आयुक्त, के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि आवेदक के पिता के नाम पर पट्टा था तथा पिता की मृत्यु के पश्चात् आवेदक के नाम पर आया है, परन्तु पिता की मृत्यु के बाद उनके कितने वारिस थे यह जानकारी प्रस्तुत नहीं की। अपीलार्थी ने ऐसा कोई कारण नहीं बताया जिससे यह सिद्ध हो कि उसे पैसों की आवश्यकता है। अपीलार्थी ने प्रश्नाधीन भूमि विकय का मुख्य कारण जमीन पथरीली होना बताया। भूमि पट्टे पर प्राप्त करते समय उपयुक्त तथ्य तत्समय भी विद्यमान थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा पट्टा निरस्त करने संबंधी आदेश करते समय पूर्णतः विचारोपरांत स्पीकिंग एवं वैधानिक है, एवं उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रकट नहीं होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि भूमि का आवंटन कृषि के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने तथा जीवन यापन का जरिया बनाने हेतु दिया जाता है, उसके विकय की अनुमति अत्यन्त आवश्यक होने पर अपवाद स्वरूप ही दिया जाना चाहिए। इस प्रकरण में भी इस प्रकार की कोई आवश्यकता प्रकट नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाती है। आयुक्त ग्वालियर का आदेश 02–9–14 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,